भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 567 का उत्तर

केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ

567. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ को प्राप्त खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतों की संख्या कितनी है और इनमें से कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है;

(ख) गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी हेतु विगत दो वर्षों में रेल अधिकारियों द्वारा किए गए नियमित और औचक निरीक्षणों की संख्या कितनी है और इनके विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई यथाः जुर्माना लगाने या अनुबंध समाप्त करने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एनएबीसीबी द्वारा प्रत्यायित लेखापरीक्षण एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जो खान-पान सेवाओं की तृतीय पक्ष द्वारा लेखा-जाँच करने हेतु रेलवे से संबद्ध है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): विगत पांच वर्षों में केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ (सीएसएमसी) द्वारा प्राप्त खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतों की संख्या और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

(ख): भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी के लिए विगत दो वर्षों में रेल पदाधिकारियों द्वारा किए गए नियमित और औचक निरीक्षण की संख्या के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

(ग): खान-पान सेवाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए एनएबीसीबी-मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसी को सीमित निविदा के जरिए आईआरसीटीसी द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय रेल पर खान-पान सेवाओं के थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा मैसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लगाया गया था जिसने अगस्त, 2019 में ऑडिट कार्य को पूरा कर लिया है। इस समय, एनएबीसीबी-मान्यता प्राप्त ऑडिटिंग एजेंसी भारतीय रेल के साथ जुड़ी हुई नहीं है।

*****

केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ के संबंध में 20.11.2019 को लोक सभा में श्री गिरीश भालचन्द्र बापट के अतारांकित प्रश्न सं. 567 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-I

(क): विगत पांच वर्षों में केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ (सीएसएमसी) द्वारा प्राप्त खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतों की संख्या और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा।

वर्ष	2014-15	201516	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
कुल शिकायतें	1649	2599	4324	4328	4286	17186
निपटायी गई शिकायतें	1649	2599	4324	4328	4286	17186

******

केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ के संबंध में 20.11.2019 को लोक सभा में श्री गिरीश भालचन्द्र बापट के अतारांकित प्रश्न सं. 567 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-II

(ख): भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी के लिए विगत दो वर्षों में रेल पदाधिकारियों द्वारा किए गए नियमित और औचक निरीक्षण की संख्या के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा।

वर्ष	किए गए निरीक्षण के प्रकार	निरीक्षणों की कुल संख्या	निरीक्षण के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा						
			जुर्माना		चेतावनी	निरस्त	उपयुक्त सलाह	अन्य कार्रवाई	कुल
			मामलों की संख्या	लगाए गए जुर्माने की राशि (रु. में)					
2017-18	नियमित निरीक्षण	36737	12847	4,39,22,659	5432	0	8088	10370	36737
	औचक निरीक्षण	4377	2097	82,13,698	938	0	826	516	4377
2018-19	नियमित निरीक्षण	43096	12153	3,95,36,565	6848	0	11349	12746	43096
	औचक निरीक्षण	4704	2236	76,75,616	983	1	692	792	4704

*****

मन्जुल-567